दिनांक 02.09.2025 को मध्याह्न 12.00 बजे माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार की अध्यक्षता में ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः—1. श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
2 श्री निर्मल कुमार, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
3. श्री मनोज कुमार, विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
4. श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
5. श्री अभय झा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
6. श्री कुमार राजीव रंजन, नोडल पदाधिकारी, PMGSY
7 श्रीमती अरूण कुमारी, नोडल पदाधिकारी, सुलभ संपर्कता
8. श्री सतीश चन्द्र, नोडल पदाधिकारी, MMGSUY(South)
9. श्री अजीत कुमार, नोडल पदाधिकारी, MMGSY

बैठक के मुख्य बिन्दु :–

अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा विभाग अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी माननीय मंत्री महोदय को दी गई जिसपर विमर्शोपरान्त योजनावार निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

1. ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम योजनान्तर्गत कुल 13204 आवंटित पथों में कुल 11721 पथों में कार्य प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) अन्तर्गत कुल 1217 आवंटित पथों में कुल 531 पथों में कार्य प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत कुल 556 आवंटित पुलों में कुल 142 पुलों में कार्य प्रारंभ किया गया है। दिनांक 10.09.2025 तक जो भी संवेदक द्वारा एकरारनामा कर पथों/पुलों में कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा, उनपर CMBD एवं बिहार ठेकेदार निबंधन नियमवाली, 2007 की सुसंगत कंडिकाओं के आलोक में कार्रवाई की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग)

2. सभी योजनाएं जिनका LOA निर्गत हो चुका है उनमें कार्य स्थल पर Main Informatory Board एवं Citizen Information Board एक सप्ताह के अंदर लगाना सुनिश्चित करें एवं इसका Geo-Tagged फोटोग्राफ MIS पर अपलोड करें एवं सभी योजनाएँ जिनका शिलान्यास/कार्यारम्भ/उदघाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है, उनमें कार्यस्थल पर शिलापट्ट का अधिष्ठापन 15 दिवसों के अंदर कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग)

3. सभी योजनान्तर्गत प्राप्त निविदाओं का दिनांक 04.09.2025 तक चेकलिस्ट सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा उन निविदाओं का निष्पादन दिनांक 06.09.2025 एवं 07.09.2025 को विशेष कैम्प के माध्यम से 5th Floor, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना के विभागीय सभागार में संबंधित कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता

उपस्थित रहकर कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त– सह–विशेष सचिव, सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी एवं सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग)

4. ऐसी योजनाएँ जो कई वर्षो से लंबित है उनका Review संबंधित नोडल पदाधिकारी, संबंधित कार्य प्रमंडलों से करेंगे एवं ऐसे कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। जो भी संवेदक द्वारा कार्य करने में उदासीनता दिखायी जा रही है, उनपर CMBD एवं बिहार ठेकेदार निबंधन नियमवाली, 2007 की सुसंगत कंडिकाओं के आलोक में कार्रवाई की प्रक्रिया सुनिश्चित कर एवं इसकी प्रति सभी वरीय पदाधिकारियों को भी दी जाय।

(अनुपालन–संबंधित नोडल पदाधिकारी/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग)

5 माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित योजनाओं को ससमय गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने हेतु सभी नोडल पदाधिकारी को अपने स्तर से समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी नोडल पदाधिकारी/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग)

6. ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही सभी योजनाओं की जाँच जिला पदाधिकारी द्वारा जिलान्तर्गत अभियंताओं से Field Inspection Application के माध्यम से कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

3/9/25

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–मु०अ०(नि० एवं गु०नि०)विविध कार्य–06–153/2024-4895 पटना, दिनांकः– 4/9/25

प्रतिलिपिः माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ०(नि० एवं गु०नि०)विविध कार्य–06–153/2024-4895 पटना, दिनांकः– 4/9/25

प्रतिलिपिः सभी विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग एवं सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव